उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-15/2024/आडिट-1-119/दस-2024
लखनऊ : दिनांकः 23 जुलाई, 2024

कार्यालय - आदेश

शासन के कार्यालय- आदेश संख्या-I/694241/2024 दिनांक 18.07.2024 द्वारा श्री कुणाल प्रताप सिंह, उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, मुरादाबाद को, श्री जितिन प्रसाद, मा0 राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग), भारत सरकार के अपर निजी सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर, तैनात किये जाने की अनापत्ति प्रदान की गयी थी। तद्क्रम में अनु सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-A-12023/2/2019-E-2-DoC दिनांक 22.07.2024 द्वारा श्री कुणाल प्रताप सिंह, उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, मुरादाबाद को, श्री जितिन प्रसाद, मा0 राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग), भारत सरकार के अपर निजी सचिव पे मैट्रिक्स लेवल-11 के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिनियुक्ति पर तैनात करते हुए कार्यमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्तानुसार की गयी अपेक्षा के अनुक्रम में श्री कुणाल प्रताप सिंह, उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, मुरादाबाद को, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग से उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निम्नलिखित प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अधीन, एतद्वारा कार्यमुक्त किया जाता है-

1- प्रतिनियुक्ति /सेवा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार उक्त प्रतिनियुक्ति अवधि/स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये होगी और वित्त विभाग की सहमति से 02 वर्ष और बढ़ायी जा सकेगी। उ0प्र0 सरकार को जनहित में उक्त अवधि को घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार होगा।

2- वेतन एवं मंहगाई भत्ता प्रतिनियुक्ति की अवधि में श्री कुणाल प्रताप सिंह को वही वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त होंगे जो उन्हें पैतृक विभाग में रहते हुए प्राप्त होते।

3- चूंकि श्री कुणाल प्रताप सिंह राज्य सरकार की सेवा से भारत सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा स्थानान्तरित हो रहें हैं। अत: सेवा स्थानान्तरण की स्थिति में श्री सिंह को प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

4- मकान किराया भत्ता इन प्रतिकर भत्तों का विनियमन बाह्य सेवायोजक के नियमों के अधीन किया जायेगा।

5- कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन कार्यभार ग्रहण करने का समय और कार्यभार ग्रहण के समय का वेतन, यदि कोई हो, का विनियमन, बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण और उससे प्रत्यावर्तन दोनों ही के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से नियमों के अधीन किया जायगा और इसका भुगतान बाहय सेवायोजक द्वारा किया जायेगा।

6- यात्रा भत्ताः श्री कुणाल प्रताप सिंह द्वारा बाह्य सेवा की अवधि में एवं बाह्य सेवा योजन के अधीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने का तथा उससे प्रत्यावर्तन के समय की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते का विनियमन उनके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

विकल्प के अनुसार या तो उनके मूल विभाग अथवा बाह्य सेवायोजक के नियमों के अधीन होगा और इसका भुगतान बाहय सेवायोजक द्वारा किया जायेगा ।

7- अवकाश पेंशनः- बाह्य सेवा की अवधि में श्री कुणाल प्रताप सिंह राज्य सरकार के अवकाश और पेंशन सम्बन्धी नियमों द्वारा ही नियन्त्रित होते रहेंगे। बाह्य सेवा में अथवा उसके द्वारा हुई विकलांगता के सम्बन्ध में बाह्य सेवायोजक अवकाश वेतन (न कि अवकाश वेतन अंशदान) के लिए देनदार होगा, चाहे ऐसी विकलांगता का पता बाहय सेवा की समाप्ति के बाद ही क्यों न लगे।

8- अंशदायी पेंशन योजना:- बाह्य सेवा की अवधि में बाह्य सेवा योजक द्वारा सम्बन्धित कार्मिक का अंशदायी पेंशन योजना का अंशदान नियमित रूप से काटा जायेगा और सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। बाह्य सेवा योजक द्वारा ही समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित दर से नियोक्ता का अंशदान भी जमा किया जायेगा।

9- भविष्य निधिः- श्री कुणाल प्रताप सिंह राष्ट्रीय पेंशन योजना से अच्छादित हैं। अतः भविष्य निधि के अभिदान की कटौती नहीं होगी।

10- चिकित्सकीय सुविधायें बाह्य सेवा में रहते हुए श्री कुणाल प्रताप सिंह के चिकित्सक उपचार के सम्बन्ध में वे विशेष सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी जो राज्य सरकार के अधीन उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं से किसी प्रकार निम्न स्तर न होगी !

11- असाधारण पेंशनः- श्री कुणाल प्रताप सिंह अथवा उनके परिवार द्वारा बाह्य सेवा में रहते हुए उनकी विकलांगता अथवा मृत्यु के सम्बन्ध में किया गया कोई दावा उत्तर प्रदेश सिविल सेवाएं (साधारण पेंशन) नियमावली यू०पी सिविल सर्विसेज (एक्सट्रा आर्डिनरी पेंशन रूल्स) के अनुसार निर्णीत किया जायेगा और पंच निर्णय (award) के पूरे मूल्य का दायित्य बाहय सेवायोजक का ही होगा।

12- अवकाश वेतन तथा अवकाश अवधि या अवकाश नगदीकरण में प्रतिकर भत्ताः- बाहय सेवा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर श्री कुणाल प्रताप सिंह द्वारा ली गई अवकाश अवधि से सम्बन्धित प्रतिकर भत्तों का पूरा व्यय बाह्य सेवायोजक द्वारा ही वहन किया जायेगा।

13- सामूहिक बीमा इस योजना के अधीन श्री कुणाल प्रताप सिंह बाह्य सेवा की अवधि में अपना अंशदान निरन्तर करते रहेगें।

14- अन्य वित्तीय सुविधायें यदि श्री कुणाल प्रताप सिंह को बाह्य सेवायोजक द्वारा उक्त शर्तों के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय सुविधा दिया जाना प्रस्तावित हो तो वह शासन की स्पष्ट सहमति के बिना अनुज्ञेय न होगी।

15- उक्त के अतिरिक्त श्री कुणाल प्रताप सिंह पर उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति की सामान्य सेवा-शर्तें लागू होगी।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- ~~यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।~~

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- श्री अरबिन्द कुमार चौधरी, अनु सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-A-12023/2/2019-E-2-DoC दिनांक 22.07.2024 के सन्दर्भ में।

3- निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करायें।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- श्री कुणाल प्रताप सिंह, उप निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

8- वित्त(सामान्य)अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुंवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।